न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 232/2019

वादी :– रामनिवास पुत्र श्री जीयाराम, जाति जाट, निवासी सातलावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भीकाराम पुत्र श्री जीयाराम
2. कबूड़ी पुत्री श्री जीयाराम
3. गुटकी पुत्री श्री जीयाराम
4. शारदा पुत्री श्री जीयाराम
5. सुमित्रा पुत्री श्री जीयाराम

   सभी जाति जाट, निवासीगण सातलावास

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर
6. तहसीलदार, मेड़ता।
7. पटवारी हल्का, सातलावास।

दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 व 18 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 25/10/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री महिपाल चौधरी ने दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 इनकी बहने है। सभी स्व. जीयाराम के वारिसान है। मौजा सातलावास

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 1.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.0300 हैक्टेयर कुल रकबा 3.5000 हैक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद भूमि आयी हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का सहुलियत से अलग–अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की गई है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता जीयाराम जी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जीयाराम व उनकी पत्नी सोनकी का स्वर्गवास हो चुका है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सें 5 को स्व. जीयाराम जी से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहुलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कर लिया है, जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 के अनुसार है। **नोट :–** प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने अपने बंट की एवज में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से नगदी व जेवरात प्राप्त कर लिये है तथा अपना सम्पूर्ण हक व बंट वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया है। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का कोई हक, बंट, अधिकार, काश्त व कब्जा नही है। उपरोक्त वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

करवाने हेतु वाद पेश है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का सहुलियत से अलग–अलग हे। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज है। इसलिये वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से रकबा 0.1400 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 512 रकबा 1.3100 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.03 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा की भूमि वादी की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा यह भी घोषित फरमाया जावें कि मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से रकबा 0.13 हैक्टेयर पूरवी हिस्सा, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.8900 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.0300 हैक्टेयर में से रकबा 0.71 हैक्टेयर पूरवी हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। खातेदारी में संयुक्त रूप से नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी के विशिष्ट भू–भाग को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि मुतनाजा आराजी वादी की पैतृक आराजी है तथा मौके पर सहुलियत से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अलग–अलग काश्त व काबिज है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नही की जा सकेगी व वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। जिससे वादी स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार की पाने के मुश्तहक है कि मुतनाजा खसरान की भूमि में वादी के बंट की भूमि में वादी के काश्त व कब्जा में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करवावें। प्रतिवादी संख्या 6

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी व प्रतिवादी संख्या 7 रेकर्ड संधारक होने से आवश्यक पक्षकार है, जिससे इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 11 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा सातलावास की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 134 की प्रति पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री सियाराम कमेड़िया ने वकालतनामा तथा इकबालिया जवाब पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने राजीनामा पेश किया। वादी रामनिवास व प्रतिवादी भीकाराम के शपथपत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6.(क) वादी रामनिवास के बंट में :— मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से रकबा 0.1400 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 512 रकबा 1.3100

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.03 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) **प्रतिवादी संख्या 1 भीकाराम के बंट में :–** मौजा सातलावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 0.2700 हैक्टेयर में से रकबा 0.13 हैक्टेयर पूरवी हिस्सा, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.8900 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 76 रकबा 1.0300 हैक्टेयर में से रकबा 0.71 हैक्टेयर पूरवी हिस्सा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने अपने हक की सम्पूर्ण भूमि का हक तर्क वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेडता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.11.11 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: